

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज०)

दिनांक:- 24.06.2019

प्रकरण संख्या-131/2019

1. लछमन पिता कनीराम जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी बिनोता तह० निम्बाहेड़ा ।
2. सवाईलाल पिता कनीराम जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी बिनोता तह० निम्बाहेड़ा ।
3. मु० पुष्पा बाई पुत्री कनीराम जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी बिनोता तह० निम्बाहेड़ा ।
4. मु० फतुबाई पत्नी स्व० कनीराम जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी बिनोता तह० निम्बाहेड़ा ।
5. शंकरलाल पिता नारायण जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी बिनोता तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज० ।

// बनाम //

1. मिठूलाल पिता प्यारचन्द जाति कोठारी आयु वयस्क निवासी बिनोता तह० निम्बाहेड़ा ।
2. मदनलाल पिता प्यारचन्द जाति कोठारी आयु वयस्क निवासी बिनोता तह० निम्बाहेड़ा ।
3. छगनलाल पिता मांगीलाल जाति पाटीदार आयु वयस्क निवासी बिनोता तह० निम्बाहेड़ा ।
4. दिलीप सिंह पिता जसवंत सिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी बिनोता तह० निम्बाहेड़ा ।
5. हीरा पिता नाना जाति गायरी आयु वयस्क निवासी बिनोता तह० निम्बाहेड़ा ।
6. डालू पिता नाना जाति गायरी आयु वयस्क निवासी बिनोता तह० निम्बाहेड़ा ।

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा०ले०रे०एक्ट
आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई । प्रार्थीगण ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा बिनोता प०ह० बिनौता की खाता संख्या 710 की आराजी न० 1708 रकबा 0.7000 हैक्टेयर, भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षीगण प्रार्थीगण की भूमि के पड़ोसी है। प्रार्थीगण राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि के खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 300/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं हाने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थीगण की खातेदारी कि वाके मौजा बिनोता प०ह० बिनौता तह० निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 710 की आराजी न० 1708 रकबा 0.7000 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करें। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करे।

आज दिनांक 24.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



401
(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (राज.)

